आवश्यक/फैक्स/ई–मेल
संख्या–3335/छः–पु–3–2012टीसी

प्रेषक,

देबाशीष पण्डा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त जिला मैजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

गृह(पुलिस) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 24 अक्टूबर, 2016

विषयः–विभिन्न धार्मिक शोभायात्राओं/जुलूसों, सामाजिक समागमों एवं राजनैतिक रैलियों आदि के आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं/भक्तों एवं प्रतिभागियों की भीड़ का समुचित प्रबन्धन किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत ही हैं कि दिनांक 09 अक्टूबर, 2016 को लखनऊ में, तदुपरान्त दिनांक 15 अक्टूबर, 2016 को वाराणसी में हुई भगदड़ की अप्रत्याशित दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में कई व्यक्तियों की मृत्यु हुई एवं अनेक व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हुए। इन दोनों घटनाओं से जहाँ एक ओर जनहानि हुई वहीं दूसरी ओर शासन की छवि भी धूमिल हुई।

2. ऐसी दुःखद घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति रोकने के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला मजिस्ट्रेट तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक संयुक्त रूप से आयोजकों के साथ बैठक आहूत कर जिले के सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को उनके विभागीय कार्यों तथा दायित्वों के प्रति सेन्सिटाइज करते हुए उनसे आवश्यक प्रबन्ध करने की अपेक्षा की जाए। ऐसी बैठकों के आयोजन के उपरान्त कार्यवृत्त भी जारी किया जाए।

JS(RP)/PG
25.10.2016

3. यह भी अनुभव किया गया है कि शासन के कड़े निर्देशों के बावजूद ऐसे अवसरों के लिए जिला प्रशासन तथा जनपदीय पुलिस के मध्य जिस प्रकार के पारस्परिक समन्वय, सामंजस्य, सहयोग एवं समझ की आवश्यकता होती है, उसका अभाव रहता है, जिसके कारण अप्रत्याशित किन्तु परिहार्य (avoidable) घटनाएं घटित हो जाती हैं। अस्तु इन घटनाओं के परिहार एवं भीड़–प्रबन्धन (crowd management) के लिए निम्नवत् दिशा–निर्देश निर्गत किए जाते हैंः–

(i) कार्यक्रम के परिमाण (magnitude) को देखते हुए पर्याप्त पुलिस प्रबन्ध किए जाने चाहिए, जिसमें यथावश्यकता सिविल पुलिस, पी.ए.सी., होमगार्ड्स, महिला पुलिस, ट्रैफिक पुलिस आदि को तैनात किया जाए तथा समुचित ब्रीफिंग भी की जाए।

(ii) किसी भी धार्मिक शोभायात्रा/जुलूस, सामाजिक समागम एवं राजनैतिक रैली आदि की अनुमति दिये जाने में विशेष सतर्कता बरती जाए तथा सम्यक प्रतिबन्धों के अधीन ही अनुमति दी जाए। आयोजकों की सहभागिता प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित की जाए तथा भीड़ के लिए जनसुविधायें यथा पेयजल, शौचालय एवं शेल्टर आदि उपलब्ध कराने हेतु उन्हें उत्तरदायी बनाया जाए। आयोजकों से शोभायात्रा, जलूस आदि के रूट के सम्बन्ध में, अनुमति देते समय ही,

सम्यक जानकारी प्राप्त कर ली जाए एवं अनुमन्य रूट से विचलन न होने दिया जाए। आयोजकों को अपने स्वयं के वालन्टियर्स चिन्हित, प्रशिक्षित करने एवं ऐसे समस्त वालन्टियर्स का ड्रेस–कोड निर्धारित कर उन्हें फोटोयुक्त पहचान–पत्र धारण करने के प्रबन्ध किए जाने हेतु उत्तरदायी बनाया जाए। आयोजकगण एवं समस्त वालन्टियर्स द्वारा लाउड–हेलर्स के माध्यम से भीड़ को नियंत्रित एवं निर्देशित करने हेतु कार्यक्रम के दौरान निरन्तर उचित दिशा–निर्देश दिए जाएं, जिससे किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति उत्पन्न न होने पाये।

(iii) जिला प्रशासन द्वारा रेलवे के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर रेलवे स्टेशन एवं प्लेटफार्म पर भीड़–नियंत्रण एवं पार्किंग सहित अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा करके एडवान्स प्लानिंग कर ली जाए। इसी प्रकार की एडवान्स प्लानिंग उ0प्र0स0प0नि0 रोडवेज के अधिकारियों तथा प्राइवेट बसों के लिए परिवहन विभाग के अधिकारियों से बात कर तैयार कर ली जाए।

(iv) अनुमति दिए जाते समय आयोजकों से सम्भावित भीड़ के सम्बन्ध में सही सूचना प्राप्त कर ली जाए। अभिसूचना तंत्र तथा अन्य स्वतंत्र स्रोतों से भी सम्भावित भीड़ के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त कर उसे क्रास–चेक कर लिया जाए तथा तद्नुसार आवश्यक पुलिस एवं यातायात प्रबन्ध किए जाएं। सम्भावित भीड़ के सटीक आकलन से भीड़ का प्रबन्धन बेहतर ढंग से किया जा सकता है।

(v) जनपदों में जब भी इस प्रकार के आयोजनों/कार्यक्रमों की अनुमति दी जाए, उनके लिए ऐसे किसी भी स्थल जहॉ उक्त प्रयोजनों के लिए भीड़ इकट्ठा होने की सूचना हो, वहॉ भीड़ की अनुमानित संख्या के अनुसार प्रवेश (entry) एवं निकास (exit) समुचित संख्या में रखे जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त पर्याप्त संख्या में अवरोध रहित आकस्मिक निकासों (exits) का भी प्रावधान किया जाए।

(vi) भीड़ प्रबन्धन हेतु ट्रैफिक–नियंत्रण एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अवयव है। अतः ट्रैफिक प्लान पहले से ही तैयार कर लिया जाए। विभिन्न श्रेणी के वाहनों की पार्किंग चिन्हित स्थानों पर ही सुनिश्चित कराई जानी चाहिए एवं इसके कियान्वयन में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए।

(vii) यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि भीड़ का एकल–दिशा प्रवाह (uni-directional flow) ही हो। बढ़ती भीड़ को फिल्टरिंग, सीमित प्रवेश एवं पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से नियंत्रित किया जाए।

(viii) भीड़ का आकलन एवं नियंत्रण किए जाने हेतु यथा सम्भव ड्रोन–कैमरों का प्रयोग किया जाए।

(ix) ऐसे कार्यक्रमों में अफवाहों (rumour mongering) के कारण भी घबराहट की स्थितियॉ उत्पन्न होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप भगदड़ (stampede) की घटनायें घटित होती हैं। अतः किसी भी प्रकार की अफवाह पर तुरन्त एवं प्रभावी नियंत्रण कर इसे फैलने से रोका जाना चाहिए तथा जनसमूह को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाए। इस हेतु पूर्व में ही स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप एस. ओ.पी. तैयार कर ली जाए।

(x) सभी प्रकार के सम्भावित जोखिमों, खतरों, आशंकाओं, विपत्तियों एवं संकटों (risks & hazards) का पूर्व में ही चिन्हींकरण करके इनका सटीक आकलन करते हुए प्रत्येक के सम्बन्ध में अचूक कार्ययोजनाएं बना ली जानी चाहिए एवं आकस्मिकता की स्थिति में इनके प्रभावी कियान्वयन हेतु संरचनात्मक ढांचा भी विकसित कर लिया जाए।

(xi) साइट–मैप्स, विभिन्न रूट्स, सड़क, स्वास्थ्य सेवायें, खोया–पाया केन्द्र, आपातकालीन–निष्क्रमण (emergency exits), एम्बुलेंस, अग्निशमन, पुलिस, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन आदि को प्रदर्शित करने के लिए यथावश्यकता पर्याप्त संख्या में, उचित स्थानों पर, पोस्टर्स, होर्डिंग्स, डिस्प्ले–बोर्ड एवं साइनेजेज स्थापित किए जाएं।

(xii) अग्नि से सुरक्षा हेतु अग्निशमन की व्यवस्थायें सुनिश्चित की जाएं। क्रिटिकल प्वाइन्ट्स पर अग्नि–सुरक्षा के उपाय किए जाएं। भीड़ के प्रवाह, दुकानों, अस्थाई संरचनाओं एवं अन्य प्रतिष्ठानों के दृष्टिगत महत्वपूर्ण स्थानों पर अस्थाई अग्निशमन केन्द्रों की स्थापना की जाए। जिन स्थानों पर फायर टेन्डर न पहुंच सके, उन स्थानों पर बाइक माउन्टेड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट की व्यवस्था की जाए। आतिशबाजी एवं पटाखों का प्रज्वलन खुले स्थानों में ही अनुमन्य किया जाए।

(xiii) भीड़ के प्रवाह (crowd flow) की निगरानी किए जाने हेतु महत्वपूर्ण स्थानों पर, यथा–आवश्यकता वाच–टावर्स स्थापित किए जाएं।

(xiv) महत्वपूर्ण स्थानों यथा प्रवेश (entries), निकास (exits) बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बाजारों एवं अन्य महत्वपूर्ण जंक्शनों की निरन्तर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जाएं एवं भीड़ की निरन्तर रिकार्डिंग की जाए। समस्त सीसीटीवी कैमरों का फीड केन्द्रीयकृत कन्ट्रोल–रूम को दिया जाए। कन्ट्रोल–रूम में अधिकारियों/कर्मचारियों की अहर्निश शिफ्टवार ड्यूटी लगाई जाए।

(xv) निरन्तर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने हेतु सामान्य पावर–सप्लाई के अतिरिक्त मोबाइल जनरेटर्स की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। समस्त मार्गों पर समुचित प्रकाश की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। विद्युत वायरिंग में पीवीसी कन्ड्यूट पाइप्स, एमसीबी एवं कापर वायर का प्रयोग किया जाए। हाई–टेंशन वायर तथा लो–टेंशन वायर की नेटवर्किंग समुचित प्लानिंग के साथ की जाए। भीड़–भाड़ वाले जंक्शनों पर वायरिंग के तार आड़े–तिरछे एवं लूज ढंग से न लगाये जाएं। जलराशियों के निकट विद्युत वायरिंग में विशेष रूप से सतर्कता बरती जाए।

(xvi) मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार भी भारी वर्षा, आंधी–तूफान, तेज धूप, अत्यधिक आर्द्रता, ठण्ड आदि किसी भी आकस्मिकता की सम्भावित स्थिति से निपटने हेतु, आयोजन–स्थल पर सम्पूर्ण आयोजन अवधि के लिए, पूर्व से ही समुचित व्यवस्थायें सुनिश्चित कर ली जानी चाहिए।

(xvii) स्टाफ, मीडिया, आयोजकगण, वालन्टियर्स आदि विभिन्न श्रेणियों के लिए पृथक–पृथक रंगों के फोटोयुक्त पहचान–पत्र तैयार कराये जाएं तथा उन्हें प्रतिभागियों द्वारा वक्ष पर अथवा गले में धारण किया जाना चाहिए ताकि वह दूर

(xviii)चिकित्सीय आकस्मिकता की स्थिति से निपटने हेतु जनपदीय एवं निकटवर्ती जनपदों के सरकारी/निजी हास्पिटल्स का चिन्हींकरण पूर्व में ही कर लिया जाए। इसके अतिरिक्त इन हास्पिटल्स में डाक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ एवं अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता भी सुनिश्चित कर ली जाए। पैरामेडिकल स्टाफ सहित, समस्त सुविधाओं से युक्त एम्बुलेंस की भी पर्याप्त संख्या में व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

4. यह भी उल्लेखनीय है कि डिजास्टर मैनेजमेन्ट एक्ट–2005 के प्रावधानानुसार डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेन्ट अथारिटी के अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट होते हैं। अतः जिला मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार भीड़ का प्रभावी प्रबन्धन किए जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किए जाने हेतु भी सक्षम हैं।

5. उक्त के अतिरिक्त पर्यवेक्षणीय पुलिस अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट्स की तैनाती भी यथावश्यकता की जाए तथा उनकी समुचित ब्रीफिंग भी की जाए। यदि कार्यक्रम के लिए आवश्यक अधिकारियों का प्रबन्ध जनपद स्तर से सम्भव न हो सके तो उसके लिए सम्बन्धित मण्डल के मण्डलायुक्त तथा परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक से इनकी मॉगकर तैनाती सुनिश्चित कराई जाए। यदि कार्यक्रम अन्तर्जनपदीय आयाम का हो तो पर्यवेक्षण एवं प्रबन्ध के दायित्वों का निर्वहन सम्बन्धित मण्डल के आयुक्त तथा परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा किया जाएगा।

6. उपरोक्त समस्त बिन्दु सुझावात्मक हैं। समय, स्थान तथा कार्यक्रम के दृष्टिगत अन्य आवश्यक पहलुओं को भी संज्ञान में लिया जाना उचित होगा।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(देबाशीष पण्डा)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ।
2– पुलिस महानिदेशक, होमगार्ड।
3– अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था।
4– अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना।
5– अपर पुलिस महानिदेशक, पी.ए.सी.।
6– समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०, लखनऊ।
7– समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
8– समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
9– गार्ड फाइल

आज्ञा से,

24.X.16

(आनन्द कुमार सिंह)
विशेष सचिव।